


दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

06/02/24

पत्रा बंदी पेश हुई। वकील पत्रकारानु
 पत्रा बंदी में उपायित नहीं आवे ही
 रीज-रीज आवाने लगवामे जाने पर
 भी हाजिर नहीं आवे पर पत्रा बंदी
 अंतर्गत 0-9, R-3, CPC के तहत अद्वय
 हाजिरी व अद्वय भरने में खाते की
 जाने है। पत्रा बंदी केसल शुभा हेत
 नंबर से काम की जाकर हाजिर हफ्ते
 ही विषय मुले कार्यालय में सुनाया जावे
 औरे उत्तरा व कार्यालय मुला से जावे
 किया गया।


 उपसुपड अधिकारी
 सांभर लेख

